Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher,
Dept. of Political Science
V.S.J. College, Rajnagar, Lnmu

Class - B.A.-2 (H)
Paper - IV
Date - 8th April 2021

Topic - ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल

मंत्रिमण्डल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोकसदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है और प्रधानमंत्री सिद्धान्ततः संसद सदस्यों और व्यवहार में सामान्यतया अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है।

ब्रिटिश संविधान की भांति ही ब्रिटिश शासन-व्यवस्था की सबसे प्रमुख संस्था मंत्रिमण्डल भी विकास का ही परिणाम है निर्माण का नहीं। इसकी स्थापना किसी संसदीय अधिनियम के आधार पर नहीं हुई वरन् वह पिछली लगभग तीन सदियों के विकास का परिणाम है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल के द्वारा 18वीं सदी से कार्य किया जा रहा है किन्तु कानून की इसके अस्तित्व को 1937 के सम्राट के मन्त्रिपरिनियम में ही स्वीकार किया गया है।

मन्त्रिमण्डल का गठन :—

मन्त्रिमण्डल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री

की नियुक्ति से प्रारम्भ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है। लेकिन सामान्यतया ब्रिटेन की द्विदल पद्धति के अन्तर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता द्वारा ही किया जाता है। स्थापित परम्पराओं के अनुसार सम्राट लोकसदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतया इस सम्बन्ध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है। रॉबर्ट वाल्पोल के समय से ही प्रत्येक प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य रहा है। अगस्त 1923 में जार्ज पंचम द्वारा लॉर्ड कर्जन के स्थान पर बाल्डविन को प्रधानमंत्री पद प्रदान करके यह परम्परा स्थापित हो गयी है कि प्रधानमंत्री लोकसदन का ही सदस्य होना चाहिए। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है।